


(91)

समक्ष, सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा, जिला—रीवा



योगेन्द्र प्रताप सिंह तनय श्री रामविश्वास सिंह, निवासी—शेरगंज, तहसील—  
रघुराजनगर वृत्त रैगांव, जिला—सतना म0प्र0 ————— निगराकार

### बनाम

- 1.— नन्दू यादव (नन्दकिशोर यादव), प्रेमलाल यादव साकिन—धवारी मलाहन  
टोला, सतना, तहसील—रघुराजनगर, जिला—सतना म0प्र0
- 2.— शासन म0प्र0 ————— गैरनिगराकारगण

अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार  
सिंह डाका प्रमुख १०३/२०१२  
रीवा. क्रि १२/१२ ९.०३.२०१२

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान  
तहसीलदार वृत्त रैगांव, जिला—सतना के  
आदेश दिनांक 13.02.2012 व सिलसिले  
रा०प्र०क्र०—४३ए.१२/११—१२

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र०भ०रा०  
स0 1959

मान्यवर,

### **प्रार्थी निगराकार की प्रार्थना निम्नलिखित है :-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक नन्द  
किशोर यादव द्वारा मौजा शेरगंज की आराजी नं०—२७७/२/क  
/२/१/क/१ रकवा २.०२६ हेक्टेयर के सीमांकन बावत् आवेदन संहिता  
की धारा 129 के तहत पेश किया।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर रा०नि० को आदेश जारी किया  
गया, रा०नि० से सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त।

योगेन्द्र प्रताप सिंह/निगराकार द्वारा आपत्ति पेश की गई,  
आपत्तिकर्ता की आपत्ति मुख्य रूप से यह है कि उसकी आराजी से  
आवेदक की आराजी लगी नहीं है, बल्कि लमतरा बांध से लगी हुई है।

प्रमोद कुमार सिंह  
१३ फेब्रुअरी

पोलिट्रायल विहार / मन्दिर यात्रा (तेलंगाना पार्ट)

76

R. 935-1/12 अवारा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं उनके तत्काल आदि के हस्ताक्षर
20-7-17.	<p>1- शुक्रवार शुक्रवार</p> <p>2- आवेदक तथा आधिकारिक वर्ग प्रकार करारी गति की दृष्टि सन्तान उपरांत उपायित नहीं है।</p> <p>3- आवेदक छात्र-1 की ओर लेज़री डी.एस.ओ.एस. द्वारा उपरांत</p> <p>4- आवेदक छात्र-2 शासन (म.प्र.) वर्ग ओर लेज़री की उपायित नहीं है।</p> <p>5- इसी आवेदक तथा आधिकारिक सन्तान उपरांत उपायित नहीं है। अतः साहित्यकारों द्वारा 35(2) के तहत प्रकाश अद्य प्रेरणा में खालिक घिपावात है।</p> <p>6- आदेश वर्ग प्राची के तात्पर्य अद्य निर्धारित रूपान्वयन है। तत्प्रवाह शुक्रवार वेळी द्वारा लोकसभा में लिखा जाएगा।</p>	